



राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर, दुर्गापुरा, जयपुर-302018, फोन- 0141-2552796

क्रमांक:-F29(40)(1)/RSSB/Result/Primary_School_Teacher/Level-1(SANS)/2025

दिनांक: यथा-हस्ताक्षरित

प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (सामान्य/संस्कृत शिक्षा) (लेवल-प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती-2025 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का वरीयतानुसार परिणाम

बोर्ड द्वारा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (सामान्य/संस्कृत शिक्षा) (लेवल-प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) सीधी भर्ती-2025 के अन्तर्गत राजस्थान पंचायती राज नियम-1996, यथा संशोधित राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा विद्यालय शाखा नियम 2015 एवं यथा संशोधित राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम-2014 के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय अध्यापक (सामान्य/संस्कृत शिक्षा) (लेवल-प्रथम, कक्षा 1 से 5 तक) के संस्कृत शिक्षा विभाग के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल-प्रथम (संस्कृत) के गैर-अनुसूचित क्षेत्र के 187 एवं अनुसूचित क्षेत्र के 00 कुल 187 पदों के लिए विज्ञापन संख्या 08/2025 दिनांक 06.11.2025 एवं संशोधित दिनांक 07.11.2025, 14.11.2025 एवं 07.05.2026 को जारी किया गया था। इसके अन्तर्गत संस्कृत शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती लेवल-प्रथम (संस्कृत) के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 20.01.2026 (Morning 10am to Afternoon 12.30pm) को किया गया था।

इसी क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन फार्म में दर्ज सूचनाओं एवं लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित उत्तीर्णांक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की पूर्णत अनन्तिम (Provisional) वरीयता सूची तैयार की गई है। गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए पूर्णत अनन्तिम (Provisional) रूप से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के वरीयता क्रम, रोल नम्बर एवं श्रेणी परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

डिलीट प्रश्नों का विवरण:

Exam Code- 2PP12 (SANSKRIT L1)			
Series	Set	Questions	Deleted Ques.
\$	1	1-150	4, 39, 116, 117
*	2	1-150	27, 65, 131, 132
=	3	1-150	28, 87, 102, 103
?	4	1-150	1, 77, 97, 98
&	5	1-150	62, 80, 125, 126
+	6	1-150	27, 88, 131, 132

₹	7	1-150	50, 85, 92, 93
÷	8	1-150	58, 83, 112, 113
@	9	1-150	35, 87, 108, 109
×	10	1-150	35, 54, 113, 114
#	11	1-150	68, 80, 98, 99
%	12	1-150	41, 59, 96, 97

गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए परिशिष्ट-1 अनुसार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में से लम्बवत प्रवर्गानुसार विज्ञापित पदों के लगभग 02 गुणा अभ्यर्थियों के अतिरिक्त पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्षैतिज आरक्षण की श्रेणियों में विज्ञापित पदों के लगभग 3 गुणा अभ्यर्थियों को पात्रता जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु विचारित (Shortlist) करने पर कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार होंगे—

गैर अनुसूचित क्षेत्र

CATEGORY		Cut_Off	Remarks
GEN	GEN	210.6941	
	FEM	210.6941	
	WID.	108.0091	ALL
	DIV.	183.5342	DIV AGAINST WID
	EX	109.7808	ALL
SC	GEN	194.4201	
	FEM	194.4201	
	WID.	NA	NA
	DIV.	141.0502	DIV AGAINST WID
	EX	NA	NA
ST	GEN	188.1461	
	FEM	188.1461	
	WID.	NA	NA
	DIV.	134.8858	DIV AGAINST WID
	EX	NA	NA
GEN-EWS	GEN	201.8082	
	FEM	201.8082	
	WID.	NA	NA
	DIV.	147.5434	DIV AGAINST WID
	EX	NA	NA
OBC	GEN	203.1963	

	FEM	203.1963	
	WID.	NA	NA
	DIV.	165.0959	DIV AGAINST WID
	EX	NA	NA
MBC	GEN	201.9178	
	FEM	201.9178	
	WID.		
	DIV.		
	EX	NA	NA
B/LV		109.1142	ALL
HI		106.7763	ALL
LD/CP		171.8174	
MI/MD		146.0457	ALL
SP		156.0457	

1. सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों का आंकलन बोर्ड द्वारा अनुमोदित निम्न सूत्र से किया गया है:-

$$\text{Total Marks of a Candidate} = \sum \text{of } [(RQ \times KF) - \left(\frac{\text{Maximum marks} \times \text{Wrong Question}}{\text{Total No. Of Question} \times 3} \right) - \left(\frac{\text{Maximum Marks} \times \text{Not Attempted Question}}{\text{Total No. Of Question} \times 3} \right)]$$

Σ = Sum of Marks

RQ = Right Questions

$$KF = \text{Key Factor} = \frac{\text{Maximum Marks}}{\text{Total No. of Questions}} \times \frac{\text{Total No. of Questions}}{\text{Number of Valid Questions}}$$

नोट:-

- 10 प्रतिशत से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प/गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 51 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।
- इस वरीयतानुसार परिणाम में जारी लगभग 02 गुणा कट ऑफ मार्क्स तक के अभ्यर्थियों हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिये ऑनलाईन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फार्म (Scrutiny Form) भरने हेतु पोर्टल दिनांक 01.06.2026 से दिनांक 15.06.2026 तक खुला रहेगा।
- किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने की जानकारी मिलने पर किसी भी समय उक्तानुसार जारी वरीयतानुसार परिणाम से बाहर किया जा सकेगा।
- कोई असंगत/अभिलिखित विसंगति सामने आने पर उक्तानुसार जारी परिणाम में संशोधन सम्बन्धी अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित हैं।
- उक्त परीक्षा परिणाम माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 19070/2025 के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।
- नवीन व अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें।

संलग्न:- परिशिष्ट-1

सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
2. निजी सहा0, माननीय समस्त सदस्य महोदय, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. निजी सहा0, सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
4. निजी सहा0, उपसचिव (परीक्षा/कार्मिक), राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
5. वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
6. सलाहकार (परीक्षा/विधि/नियम/गोपनीय), राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
7. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.सैल, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सूचना को बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
8. भर्ती प्रभारी को लेख है कि संबंधित विभाग से समन्वय करते हुए सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के आगे की कार्यवाही संपादित करे।
9. रक्षित पत्रावली।

सचिव